न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)
राजस्व लोक अदालत केम्प साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर

पीठासीन अधिकारीः– श्री विनोद कुमार मल्होत्रा आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 15/2016
दायर तिथि– 03.03.2016
तारीख फैसला– 08.06.2018

वादीः–
तेजसिंह पुत्र स्व. रामसिंहजी
जाति राजपूत निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)।

ब ना म

प्रतिवादीगणः–
1–श्रीमती सविता धर्मपत्नी मीठालालजी आयु बालिग
2–श्रीमती रसीला धर्मपत्नी नरेशकुमारजी आयु बालिग जातिगण जैन निवासीगण फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली(राज.)।
3–राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली(राज.)।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट, 1956

–:निर्णयः–

वाद पत्रावली के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैः–
(1) वादी द्वारा चह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी के खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत इस आश्य का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा साण्डेराव पटवार क्षेत्र साण्डेराव सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 1806/1 रकबा 2.85 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर व खसरा नं. 1805/2301 रकबा 1.15 हैक्टर में से 1.12 हैक्टर आयी हुई स्थित है। जिस पर वादी का भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त नहीं होने से वादी को खातेदार दर्ज नहीं किया है।
(2) वादी भूमि पर कब्जे काश्त के आधार पर कृषि भूमि खसरा नं. 1806/1 रकबा 2.85 हैक्टर में से 1.60 हैक्टर व खसरा नं. 1805/2301 रकबा 1.15 हैक्टर में से 1.12 हैक्टर कुल रकबा 2.72 हैक्टर चाह रहा है। वादी को वादग्रस्त भूमि नियमन होने या इस पर पुश्तैनी पुराना कब्जा काश्त होने जैसा ऐसा कोई प्रामाणिक प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया है,।
(3) पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का सावधानी पूर्वक अवलोकन व परीक्षण किया। प्रतिवादी पैरोकार ने लिखित बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि रेकर्ड में सिवायचक बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज हैं। फलतः उल्लेखित तथ्यों के आधार पर हमारे विधिक मतानुसार वादी वादग्रस्त कृषि भूमि के बारे में कानूनन किसी प्रकार से खातेदारी या स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं बनता है। वादी का कथित वादपत्र काबिल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **08.06.2018** को राजस्व लोक अदालत साण्डेराव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला–पाली

Scanned by CamScanner